## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-06062025-263640 SG-DL-E-06062025-263640

# असाधारण EXTRAORDINARY

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] No. 171] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 5, 2025/ज्येष्ठ 15, 1947 DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 2025/JYAISTHA 15, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 85 [N. C. T. D. No. 85

# भाग IV PART IV

# राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग

(नीति एवं अनुसंधान शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जून, 2025

(संख्या 02/2025—राज्य कर)

- फा. सं. 2 (557)/नीति/जीसटी/2025/332.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 39 की उपधारा (6) के साथ पिठत धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, पिरषद की अनुशंसाओं पर एतद् द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र जीएसटीआर—3ख में विवरणी प्रस्तुत करने की समय—सीमा को विस्तारित करते हैं, जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट है—
  - (i) धारा 39 की उपधारा (1) के अंतर्गत, दिसंबर 2024 माह के लिए, दिनांक 22 जनवरी, 2025 तक :
  - (ii) धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक में, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित पंजीकृत व्यक्तियों की श्रेणी हेतु अक्तूबर, 2024 से दिसंबर, 2024 की तिमाही के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (3) में संगत प्रविष्टि में उल्लिखित तिथि तक, अर्थातः—

# सारणी

क्र0 सं0	पंजीकृत व्यक्तियों की श्रेणी	नियत तिथि
(1)	(2)	(3)
1.	पंजीकृत व्यक्ति जिनका व्यवसाय का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में है।	24 जनवरी, 2025
2.	पंजीकृत व्यक्ति जिनका व्यवसाय का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड या ओडिशा राज्यों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में है।	26 जनवरी, 2025

चंचल यादव, आयुक्त (राज्य कर)

# DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES (Policy and Research Branch) NOTIFICATION

Delhi, the 5th June, 2025

(No. 02/2025-State Tax)

- **F. No. 2(557)/policy/GST/2025/332.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the return in FORM GSTR-3B electronically, through the common portal, by the registered persons, as specified under—
  - (i) sub-section (1) of section 39, for the month of December 2024, till twenty-second day of January, 2025:
  - (ii) proviso to sub-section (1) of section 39, for the quarter of October, 2024 to December, 2024, for the class of registered persons mentioned in column (2) of the Table given below, till the date mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

#### **TABLE**

S. No.	Class of registered persons	<b>Due Date</b>
(1)	(2)	(3)
1.	Registered persons whose principal place of business is in the	Twenty-fourth day of January, 2025
	States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra,	
	Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh,	
	the Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar	
	Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands or	
	Lakshadweep.	
2.	Registered persons whose principal place of business is in the	Twenty-sixth day of January, 2025
	States of Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana,	
	Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh,	
	Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West	
	Bengal, Jharkhand or Odisha, the Union territories of Jammu and	
	Kashmir, Ladakh, Chandigarh or Delhi.	

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-06062025-263639 SG-DL-E-06062025-263639

# असाधारण EXTRAORDINARY

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] No. 172] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 5, 2025/ज्येष्ठ 15, 1947 DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 2025/JYAISTHA 15, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 86 [N. C. T. D. No. 86

# भाग IV PART IV

# राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग (नीति एवं अनुसंधान शाखा) अधिसूचना

दिल्ली, 5 जून, 2025

(संख्या 03/2025-राज्य कर)

फा.सं. 2 (558) / नीति / जीसटी / 2025 / 333.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 39 की उपधारा (6) के साथ पिटत धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की अनुशंसाओं पर, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (5) के साथ पिटत दिल्ली माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 63 के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2024 के लिए गैर—निवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्रपत्र जीएसटीआर—5 में विवरणी प्रस्तुत करने की समय—सीमा को दिनांक 15 जनवरी, 2025 तक विस्तारित करते हैं।

चंचल यादव, आयुक्त (राज्य कर)

(Policy and Research Branch)

#### **NOTIFICATION**

Delhi, the 5th June, 2025

(No. 03/2025-State Tax)

**F. No. 2(558)/policy/GST/2025/333.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the return by a non-resident taxable person, in FORM GSTR-5, under sub-section (5) of section 39 of the said Act read with rule 63 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 for the month of December, 2024 till the 15<sup>th</sup> day of January, 2025.

## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-07062025-263664 SG-DL-E-07062025-263664

# असाधारण EXTRAORDINARY

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173] No. 173] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 5, 2025/ज्येष्ठ 15, 1947 DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 2025/JYAISTHA 15, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 87 [N. C. T. D. No. 87

# भाग IV PART IV

# राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग

(नीति एवं अनुसंधान शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जून, 2025

(संख्या 04 / 2025-राज्य कर)

फा.सं. 2 (559) / नीति / जीसटी / 2025 / 334. — दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 39 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की अनुशंसाओं पर एतद् द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के साथ पठित दिल्ली माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 65 के अन्तर्गत प्रपत्र जीएसटीआर—6 में इनपुट सेवा वितरक द्वारा माह दिसम्बर, 2024 हेत् विवरणी प्रस्तृत करने की समय—सीमा को, दिनांक 15 जनवरी, 2025 तक विस्तारित करते हैं।

चंचल यादव, आयुक्त (राज्य कर)

(Policy and Research Branch)

#### **NOTIFICATION**

Delhi, the 5th June, 2025

(No. 04/2025-State Tax)

**F. No. 2(559)/policy/GST/2025/334.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the return by an Input Service Distributor in FORM GSTR-6 under sub-section (4) of section 39 of the said Act read with rule 65 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month of December, 2024 till the 15<sup>th</sup> day of January, 2025.

## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-06062025-263638 SG-DL-E-06062025-263638

# असाधारण EXTRAORDINARY

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174] No. 174] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 5, 2025/ज्येष्ठ 15, 1947 DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 2025/JYAISTHA 15, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 88 [N. C. T. D. No. 88

# भाग IV PART IV

# राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग

(नीति एवं अनुसंधान शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जून, 2025

(संख्या 05 / 2025-राज्य कर)

फा.सं. 2 (560) / नीति / जीसटी / 2025 / 335. — दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 39 की उपधारा (6) के साथ पिटत धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त परिषद की अनुशंसाओं पर एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के साथ पिटत दिल्ली माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 66 के अन्तर्गत प्रपत्र जीएसटीआर—7 में उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने हेतु अपेक्षित पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माह दिसम्बर, 2024 हेतु विवरणी प्रस्तुत करने की समय—सीमा को, दिनांक 12 जनवरी, 2025 तक विस्तारित करते हैं।

चंचल यादव, आयुक्त (राज्य कर)

(Policy and Research Branch)

#### **NOTIFICATION**

Delhi, the 5th June, 2025

(No. 05/2025-State Tax)

**F. No. 2(560)/policy/GST/2025/335.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the return by a registered person, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act, in FORM GSTR-7 under sub-section (3) of section 39 of the said Act read with rule 66 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month of December, 2024, till the 12th day of January, 2025.

## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-06062025-263637 SG-DL-E-06062025-263637

# असाधारण EXTRAORDINARY

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175] No. 175] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 5, 2025/ज्येष्ठ 15, 1947 DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 2025/JYAISTHA 15, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 89 [N. C. T. D. No. 89

## भाग IV PART IV

# राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग

(नीति एवं अनुसंधान शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जून, 2025

(संख्या 06 / 2025-राज्य कर)

फा.सं. 2 (561) / नीति / जीसटी / 2025 / 336.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 52 की उपधारा (4) के प्रथम परंतुक के साथ पठित धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त परिषद की अनुशंसाओं पर एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के साथ पठित दिल्ली माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 67 के अन्तर्गत प्रपत्र जीएसटीआर—8 में ई—वाणिज्य संचालक के माध्यम से की गई माल अथवा सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे सहित माह दिसम्बर, 2024 हेतु विवरण प्रस्तुत करने की समय—सीमा को दिनांक 12 जनवरी, 2025 तक विस्तारित करते हैं।

चंचल यादव, आयुक्त (राज्य कर)

(Policy and Research Branch)

#### **NOTIFICATION**

Delhi, the 5th June, 2025

(No. 06/2025-State Tax)

**F. No. 2(561)/policy/GST/2025/336.**—In exercise of the powers conferred by first proviso to sub-section (4) of section 52 read with section 168 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the statement, containing the details of outward supplies of goods or services or both, effected through an e-commerce operator, in FORM GSTR-8, under sub-section (4) of section 52 of the said Act read with rule 67 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 for the month of December, 2024 till the 12<sup>th</sup> day of January, 2025.